टी०ए० मिस केस सं० 420/2019–20

दिनांक	आदेश
20-05-2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री सिकुर सावैंया**, पिता– स्व० **गोसा सावैंया**, ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफ्फासिल**, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने **मौजा–गितिलपी, थाना–580, खाता नं०–83, प्लॉट नं०–02, रकवा– $0.07\frac{1}{2}$ एकड़** भूमि क्रेता **तुलसी मुन्दुईया, पिता– लेंगा तामसोय,** ग्राम– **गितिलपी, थाना– मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। **अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर हालसर्वे खतियान में दर्ज है। पिता के मृत्यु पश्चात् प्राप्त हिस्से की भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।** अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–**302.,**दिनांक **11.05. 2020** द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **तुलसी मुन्दुईया, पिता– लेंगा तामसोय,** ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **मुफ्फसिल** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **3.50 एकड़** भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति पर्याप्त है। अतः **संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा** के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **श्री सिकुर सावैंया,** पिता– स्व० **गोसा सावैंया,** ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफ्फासिल,** क्रेता **तुलसी मुन्दुईया,** पिता– **लेंगा तामसोय,** ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास **3,70,,000.00 (तीन लाख सत्तर हजार)** रूपये में **मौजा–गितिलपी, थाना–580, खाता नं०–83, प्लॉट नं०–02, रकवा– $0.07\frac{1}{2}$ एकड़** भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ...अनुमति...........दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner